



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 श्रावण 1948 (श10)

(सं0 पटना 891) पटना मंगलवार 28 जुलाई 2026

सं० 01/ए०जी०(विविध)-22/2025-4916 कृ०

कृषि विभाग

संकल्प

22 जुलाई 2026

विषय :- बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा, कोटि-5 (पौधा संरक्षण) सेवा संवर्ग के अधीन कार्यरत कर्मियों का सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 के आलोक में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार के संबंध में।

बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा, कोटि-5 (पौधा संरक्षण) सेवा संवर्ग की प्रकाशित अंतिम वरीयता सूची ज्ञापांक-774 दिनांक- 11.09.2024 में कुल कार्यरत 15 (पन्द्रह) पौधा संरक्षण निरीक्षकों में से 13 (तेरह) पौधा संरक्षण निरीक्षकों की शैक्षणिक योग्यता कृषि स्नातक से भिन्न है तथा इन सभी निरीक्षक की प्रोन्नति मूल पद पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक से हुई है।

2. बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा, कोटि-5 (पौधा संरक्षण) की नियमावली की अधिसूचना सं०-1300 दिनांक-28.11.2014 एवं एतद् की संशोधन नियमावली की अधिसूचना सं०-694 दिनांक- 02.09.2025 में बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा, कोटि- 5 (पौधा संरक्षण) की अराजपत्रित सेवा संवर्ग के पद से बिहार कृषि सेवा, कोटि-5 (पौधा संरक्षण) की राजपत्रित सेवा संवर्ग में प्रोन्नति की अवधारणा अधिसूचित नहीं है।

3. बिहार कृषि सेवा, कोटि-5 (पौधा संरक्षण) की राजपत्रित सेवा संवर्ग हेतु नियमावली की अधिसूचना सं०-4670 दिनांक- 14.10.2014 में प्रोन्नति से नियुक्ति की अवधारणा अधिसूचित है।

4. अधिसूचना संख्या-4670 दिनांक-14.10.2014 की कंडिका-5(3) में अंकित है कि संवर्ग में मूल कोटि के पदों पर सीधी नियुक्ति या प्रोन्नति के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से Elective Plant Protection (पौधा संरक्षण) के साथ में स्नातक की डिग्री होगी तथा कंडिका-5(5) प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति में अंकित है कि बिहार कृषि सेवा, कोटि-5 (पौधा संरक्षण) में बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा, कोटि-5 (पौधा संरक्षण) से कृषि स्नातक योग्यताधारी को ही प्रोन्नति दी जाएगी।

5. पूर्व में परिचालित विभागीय संकल्प संख्या- 328 दिनांक-18.02.1992 में बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा, कोटि- 5 (पौधा संरक्षण) के मूल पद पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता विज्ञान के साथ 10+2/कृषि में डिप्लोमा एवं पौधा संरक्षण निरीक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता कृषि स्नातक निर्धारित रही है तथा पौधा संरक्षण निरीक्षक के पदों का 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा भरा जाना निर्धारित रहा है।

6. कालांतर में कृषि विभागीय संकल्प संख्या- 69 दिनांक-07.01.2010 द्वारा बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा, कोटि- 5 (पौधा संरक्षण) में सीधी नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता कृषि विज्ञान में स्नातक/विज्ञान में स्नातक, जीव विज्ञान (वनस्पति/जन्तु विज्ञान) के साथ है तथा अधीनस्थ सेवा से वर्ग-2 (सम्प्रति समूह-ख) में प्रोन्नति हेतु शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं होगी चूँकि, प्रोन्नति अनुभव एवं कार्यकुशलता के आधार पर दी जानी है।

7. बिहार कृषि सेवा, कोटि-5 (पौधा संरक्षण) की अधिसूचित नियमावली की अधिसूचना संख्या-4670 दिनांक-14.10.2014 में प्रोन्नति हेतु शैक्षणिक योग्यता कृषि स्नातक रहने से उक्त वर्णित पौधा संरक्षण के अधीनस्थ सेवा संवर्ग के पौधा संरक्षण निरीक्षकों को प्रोन्नति/अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार की प्रक्रिया अवरुद्ध है तथा **Stagnation** की स्थिति उत्पन्न हो गयी।

8. उक्त निरीक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2000 या इससे पूर्व की है तथा इनका मूल पद पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक रहा है।

9. उपर्युक्त वर्णित स्थिति में बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा, कोटि-5 (पौधा संरक्षण) सेवा संवर्ग में कार्यरत कर्मियों को प्रोन्नति/अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाना आवश्यक हो गया।

10. अतः बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा, कोटि-5 (पौधा संरक्षण) सेवा संवर्ग में कार्यरत कर्मियों को बिहार कृषि सेवा, कोटि- 5 (पौधा संरक्षण) सेवा संवर्ग के मूल पद सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या- 19300 दिनांक-13.10.2023 के आलोक में सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) पद का तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था अन्तर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिये जाने का निर्णय लिया जाता है तथा इस प्रकार इन कर्मियों की अग्रेतर प्रोन्नति अथवा उक्त संकल्प के आलोक में अग्रेतर कार्यकारी प्रभार दिये जाने में शैक्षणिक योग्यता बाधा नहीं होगी।

11. बिहार कृषि सेवा, कोटि-5 (पौधा संरक्षण) के राजपत्रित सेवा संवर्ग हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या- 4670 दिनांक- 14.10.2014 द्वारा अधिसूचित नियमावली की कंडिका-12 (2) के अधीन कंडिका- 5(3) एवं कंडिका- 5(5) के प्रावधान को शिथिल करते हुए दिनांक-14.10.2014 अथवा उससे पूर्व बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा, कोटि-5 (पौधा संरक्षण) सेवा संवर्ग में नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों को बिहार कृषि सेवा, कोटि-5 (पौधा संरक्षण) के संवर्गीय राजपत्रित मूल पदों का तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था अन्तर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिये जाने की यह व्यवस्था एकबारगी उपाय (One Time Measure) के रूप में केवल कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों के लिए लागू की जायेगी।

12. यह संकल्प माननीय उच्च न्यायालय, पटना तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष लंबितवादों के फलाफल से अच्छादित होगी।

13. यह आदेश संकल्प निर्गत की तिथि से लागू होगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कल्पना कुमारी,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 891-571+10-डी0टी0पी0

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>